न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/153

1. दाखली देवी पत्नी फूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम दादा का बास, पटवार हल्का, भांवरी, तहसील पांवटा जिला जयपुर।
2. सरदारा पुत्र फूला जाति जाट निवासी ग्राम दादा का बास, पटवार हल्का भांकरी, तहसील पावटा जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील पावटा जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

2. कैलाश पुत्र फूला
3. कोयली पुत्री फूला
4. रम्मा पुत्री फूला
5. सेडी पुत्री फूला
6. धूडमल पुत्र गोपाल
7. सुगन चन्द पुत्र गोपाल
8. खामोश पुत्री भागीरथ उर्फ भग्गाराम
9. मंजू पुत्री भागीरथ उर्फ भग्गाराम
10. मूर्ती पत्नि भागीरथ उर्फ भग्गाराम
11. सर्वेश पुत्री भागीरथ उर्फ भग्गाराम
12. सीमा पुत्री भागीरथ उर्फ भग्गाराम
13. सोना पुत्री भागीरथ उर्फ भग्गाराम
14. राकेश पुत्र भागीरथ उर्फ भग्गाराम
15. मूलाराम पुत्र फूला
16. रामेश्वर पुत्र घीसाराम
17. सरदारा पुत्र घीसाराम
18. हरिराम पुत्र चन्द्रराम समस्त जाति जाट
19. गाडाराम पुत्र घीसा जाति माली
20. जगदीश पुत्र घीसा जाति माली
21. नाथूराम पुत्र मूलाराम जाति माली
22. लहरी पुत्री गिरधारी
23. रामनिवास पुत्र रामस्वरूप
24. मुखराम पुत्र रामस्वरूप
25. कमला देवी पत्नी रामस्वरूप
    समस्त जाति माली निवासी ग्राम—दादा का बास, पटवार हल्का भांकरी, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
26. नाथी देवी पत्नी बलबीर पुत्री रामस्वरूप
27. पतासी पत्नी राजू पुत्री रामस्वरूप
28. पांची पत्नी हजारी पुत्री रामस्वरूप
    जाति माली गंजी की ढाणी, ग्राम नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पावटा, जिला जयपुर निर्णय दिनांक 27.01.2022 जिसके द्वारा तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक: 147/2022 दिनांक 19.01.2022 के आधार पर बिना प्रक्रिया अपनाये ही प्रस्तुत प्रस्ताव को प्रभावित पक्षकारान की सुनवाई किये बिना ही स्वीकार कर अपीलान्टस की खातेदारी का रकबा कम कर दिया गया।

उपस्थित–

1. श्री लालचन्द जाट, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –23.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 27.01.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम दादाकाबास तहसील पावटा के आराजी खसरा नं0 861, 859, 860, 948, 857 किता–05 मौजा दादाकाबास में स्थित भूमि में से तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27.11.2022 को उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

3. उपखण्ड अधिकारी पावंटा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.11.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट दाखली देवी पत्नी फूलचन्द वगै. द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावंटा जिला जयपुर निर्णय दिनांक 27.11.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रास्ते हेतु जो भूमि गैर मु. रास्ता दर्ज की गई है उस भूमि के अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं अपनी खातेदारी की भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर कृशि करता आ रहा है, उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष होने के बावजूद भी अपीलान्टस को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का मौका ही दिया गया और बिना सुनवाई का मौका ही दिया गया और बिना सुनवाई किये ही अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि कम कर दी गई जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से विदित था कि जिस विवादित भूमि के सम्बन्ध में उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उनके तरतीबी रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्टस रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जो प्रकरण में आवश्यक व हितप्रभावी व्यक्ति थे, जिन्हें आदेश

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित करने से पूर्व समुचित सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाना व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं हाल पुराना नक्शा हमेशा ही रहता है। जिसके अवलोकन से यह जाहिर था कि अपीलाधीन भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है जिसके सम्बन्ध में यदि खातेदारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना पक्षकार बनाये व्यथित पक्षकारान के विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है तो विधि विरूद्ध होगा। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष योग्य तहसीलदार द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 147/2022 दिनांक 19.01.2022 भेजा गया वह कतई विधिक नहीं है तथा उक्त पत्र को प्राप्त करने के पश्चात योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किये बिना ही एवं प्रभावित एवं आवश्कय पक्षकारों को सुने बिना एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अन्य व्यक्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सांठ गांठ कर उपरोक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत इस आदेश की आड में फायदा उठाकर अपीलान्टस जो कि ग्रामीण अशिक्षित गरीब काश्तकार व्यक्ति है को जबरन बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे है व कृषि भूमि के मौके पर जबरन अकृषि में तब्दील करने कुचेष्टा कर रहे है तथा इसी क्रम में उपरोक्त तथाकथित 20 से 30 फिट रास्ते का अंकन बाला ही बाला ही करवाना चाहते हैं, जबकि अपीलान्ट कमजोर एवं सीधे सादे किसान है जो उक्त का सामना करने में असमर्थ है, इसलिए भी अपीलान्ट को उसके विधिक हक अधिकारों एवं उसके सहखातेदारी की कृशि भूमि की रक्षार्थ यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया। अतः अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा, जिला जयपुर द्वारा खसरा नं. 857, 858, 859, 860 वाकेग्राम दादा का बास पटवार हल्का भांखरी तहसील पावटा जिला जयपुर के सम्बन्ध में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया हे उक्त आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार पावटा जिला जयपुर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता कच्चा के रूप मे दर्ज है एवं कदीमी रूप से चालू है एवं स्थाई प्रकृति का है। यह रास्ता खसरा नम्बर 861 से 857 तक जाता है। जिसकी खसरा नम्बरवार पृथक से बटा नम्बर बनाया जाकर सिवायचक गै.मु. रास्ता एवं खातेदार की खातेदारी में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना है। मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 में अपीलाधीन भूमि के खातेदार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय न्यायालय द्वारा मौके पर गये बिना ही मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। मौका रिपोर्ट को सही मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का मौका ही दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का मौका ही दिया गया और बिना सुनवाई किये ही अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि कर दी गई जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

अतः—अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर दिनांक 27.01.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर